



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1384

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19457 वर्ष 2025

श्रीमती उषा देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता: अखिलेश कुमार तिवारी, रबींद्र तिवारी, रोहित कुमार चतुर्वेदी
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

प्रारंभ में ही, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार तिवारी ने वर्तमान याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता को आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम चिरियादा, पुलिस स्टेशन सुंगरही, तहसील एवं जिला पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर नियुक्ति के लिए निर्देश देने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को परमादेश जारी करने और याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन दिनांक 25.9.2025 (याचिका का अनुलग्नक संख्या 7) पर निर्णय लेने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देने हेतु परमादेश जारी करने का अनुरोध किया गया है, साथ ही याचिकाकर्ता को नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देने का भी अनुरोध किया गया है, क्योंकि उनके अनुसार, वर्तमान याचिका विधिवत गठित नहीं की गई है।

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

6 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)